

306  
23

2023/764

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक:-भू.अ./2023/Camp/25  
प्रेषिति..


दिनांक:-06/06/

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री उत्कार पाल पिता गोमा जाट नि पाल  
प.ह. पाल के राजस्व ग्राम पाल का खेड़ा में जमाबन्दी संवत् 2079  
की खाता संख्या 35,344 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.  
ने सम्मानजनक जाति/नाम उत्कार पाल किये जाने की रिपोर्ट की है।  
सम्मानजनक जाति/नाम उत्कार पाल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना  
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति  
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42  
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.)

बस्ती, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

क्रमांक:-रीडर/2023/82

दिनांक:-07/6/2023

निमित्त,


पटवार हल्का पाल

सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136


प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री उत्कार पाल पिता गोमा जाट  
राजस्व ग्राम पाल का खेड़ा प.ह. पाल की खाता संख्या 35,344 में  
जाति/नाम उत्कार पाल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री उत्कार पाल पिता गोमा जाट की  
जाति/नाम उत्कार पाल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. पाल राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

प्रतिनिधि-तहसीलदार

पालना सुनिश्चित करे।

  
2023